

क्षेत्राधिकार उप निबन्धक द्वितीय बरेली

विक्रय विलेख आवासीय भवन स्थित अर्द्धनगरीय क्षेत्र एवं निर्माण प्रीमियम श्रेणी का है सीलिंग प्राविधानों से पूर्णतः मुक्त है जो नजूल/वक्फ/चर्च/शत्रु सम्पत्ति नहीं हैं पक्षकार भारतीय नागरिक है।

विक्रय विलेख/—रु० सरकारी कीमत/— रु० स्टाम्प/— रु०

हम कि डी०जी० पार्क सिटी एल०एल०पी० द्वारा पार्टनर ई०-७/१, डी०जी० प्लाजा, ग्राउन्ड फ्लोर एकता नगर, पीलीभीत रोड, बरेली।

.....विक्रेता प्रथम पक्ष

एवं

श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी.....
.....।

.....क्रेता द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष अपनी सहयोगी के साथ कुल भूमि क्षेत्रफल 103638.48 वर्गमी० पर ग्राम मुडिया अहमद नगर के गाटा संख्या 143,150,151,152,147,148,153,154,155ए,155बी,156,157,158 व 159 तथा ग्राम नवदिया ई० सिंघाई के गाटा संख्या 45, 46, 47, 49(पी), 50(पी), 51, 52, 57, 59(पी), 60, 62(पी) व 63 पर संक्रमणीय भूमिधर चला आ रहा है प्रथम पक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में विधिवत अंकित है तथा उपजिलाधिकारी सदर बरेली के आदेश संख्या दिनांक के द्वारा भूमि को आकृषक घोषित किया जा चुका है तथा इस क्षेत्र पर बरेली विकास प्राधिकरण से एक मानचित्र सं०.....

..... दिनांक को डी० जी० पार्क सिटी एल०एल०पी० के नाम से स्वीकृत कराया जिसमें से प्रश्नगत बिक्रीत भवन विक्रेता कंपनी की भूमि पर निर्मित है उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत आवासीय योजना में निर्माण एवं वितरण का कार्य डी०जी० पार्क सिटी एल०एल०पी० द्वारा संपादित किया गया है।

प्रथम पक्ष के अतिरिक्त इस भवन की भूमि में कोई और अंशधारक या स्वामी व सह स्वामी नहीं है प्रश्नगत बिक्रीत भवन की चोहद्दी व सीमाएं इस विलेख के अंत में दी गयी है को क्रेता द्वितीय पक्ष उचित मूल्य अदा कर क्रय करना चाहता है जो प्रथम पक्ष को स्वीकार है प्रश्नगत बिक्रीत भवन अभी तक कहीं भी कानूनी व गैर कानूनी रूप से लोन, मॉर्गेज, गारन्टी, कुर्की या सरकारी व गैर सरकारी इक्यूटेबिल मॉर्गेज आदि में नहीं है अर्थात यह भवन हर प्रकार के भार से मुक्त है और ऐसा ही विश्वास प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को देकर समस्त स्वत्त व अधिकारों व नाम हस्तानान्तरण के अधिकारों सहित प्रतिफल रु०/—(.....

.....) समस्त खर्चा विक्रय विलेख सहित क्रेता द्वितीय पक्ष को वॉछित प्रतिफल प्राप्त कर बेच डाला और पूर्णतया विक्रय कर समस्त धनराशि विक्रय विलेख के अन्त में दिये विवरणानुसार प्राप्त कर ली है और क्रेता के भवन

सं० पर स्वामित्व सहित अधिकार करा दिया अब प्रथम पक्ष व उनके अत्तराधिकारीयों जो वर्तमान में है या भविष्य में होंगे का कोई अधिकार किसी किस्म का प्रश्नगत भवन में बाकी नहीं रहा ओर न भविष्य में रहेगा विक्रय पूर्ण रूपेण निष्पादित हो गयी दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट तय पाया कि भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति प्रश्नगत बिक्रीत भवन के बारे में कोई अधिकार व्यक्त करेगा तो वह नितांत गैर कानूनी होगा ओर उसकी समस्त जवाब देही व धनराशि वापसी की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष विक्रेता कंपनी की होगी। प्रश्नगत बिक्रीत भवन के रख रखाव व अनुरक्षण से कोई वास्ता किसी किस्म का प्रथम पक्ष का नहीं होगा अर्थात क्रेता द्वितीय पक्ष वर्तमान में निर्मित भवन से पूर्णतया संतुष्ट है और उसके द्वारा विक्रय विलेख से पूर्व प्रश्नगत भवन का भलीभाँती निरीक्षण कर लिया गया है इसी के साथ जो अधिकार क्रेता को प्रश्नगत विक्रय विलेख द्वारा प्राप्त होगा व उसी का स्वामी कहलायेगा प्रश्नगत भवन पर आने वाले टैक्सेस यथा नगर निगम/जिला पंचायत, बिजली, पानी, टेलीफोन, केबल सेटटॉप बॉक्स इत्यादि का भुगतान क्रेता स्वयं करेगा तथा इसके अतिरिक्त जो भी खर्चा कॉलोनी के रख रखाव में होगा उसका अनुपातिक रूप से वहन करने का पाबन्द रहेगा प्रश्नगत संपत्ति को पूर्व में कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया है और न ही बिक्रीत संपत्ति का किसी के पक्ष में कोई अनुबंध, वसीयतनाम, दानपत्र, मुख्तारेआम किया गया है संपत्ति की स्वामित्व कब्जा व सीमाओं में कोई विवाद नहीं है ओर न ही कोई वाणिज्यिक/व्यवसायिक गतिविधि विद्यमान है विक्रय विलेख निष्पादन का समस्त खर्चा मय स्टाम्प व फीस सहित विक्रेता कंपनी द्वारा वहन किया गया है, अतएव यह विलेख लिख दिया कि सनद रहें।

विवरण सीमाए व पैमाइश :- भवन संख्या

पूरब-

पश्चिम-

उत्तर-

दक्षिण-

विवरण धनराशि प्राप्त :-